प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला भ्र0नि0 ब्यूरो, बून्दी थाना :– प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र.नि.ब्यूरो, जयपुर वर्ष :–2023
प्र0सू0रि0 सं 59/2023 दिनांक 11/3/2023
2. (1) अधिनियम .....धाराऐं.....**7 पी.सी.एक्ट (संशोधित) 2018**.....
3. (क) घटना का दिन :– शुक्रवार :–दिनांक 10.03.2023
(ख) थाने पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक :– **10.03.2023 समय :–01.40 पी.एम.**
(ग) रोजनामचा संदर्भ प्रविष्टि संख्या .....194..... समय 7:00 P.M.
4. सूचना कैसे प्राप्त हुई– (लिखित/मौखिक)
5. घटनास्थल का ब्यौरा :–
(क) थाने से दिशा एवं दूरी –**ए.सी.बी. बून्दी से करीब 45 कि0मी0 बजानिब दक्षिण दिशा** बीट संख्या.....जुरामदेही सं.....
(ख) पता:– **कार्यालय सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति के.पाटन जिला बूंदी।**
(ग) यदि इस थाने की सीमा से बाहर हो, तब उस थाने का नाम.....
6. शिकायतकर्त्ता/इतिला देने वाला :–
(क) नाम :–**श्री निर्दोष पालीवाल**
(ख) पति का नाम :–**श्री महावीर प्रसाद**
(ग) जन्म तिथि/उम्र :– **36 साल**
(घ) राष्ट्रीयता – भारतीय
(ड़) पासपोर्ट संख्या.....जारी करने की तिथि.....जारी करने का स्थान
(च) व्यवसाय –खेती बाडी
(छ) पता :– **झालीजी का बराना, तहसील के.पाटन जिला बून्दी**
7. ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का पूर्ण विवरण :–
नरेन्द्र कुमार सोनी पुत्र श्री नवरंग प्रसाद उम्र 56 साल निवासी म.नं. 26, बसंत बिहार कोटा हाल सचिव, कृषि उपज मण्डी, केशवराय पाटन जिला बून्दी
8. शिकायत/इतिला देने वाले द्वारा सूचना देने में देरी का कारण :– कोई नहीं
9. चोरी हुई/लिखित सम्पति की विशिष्टियॉ (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)
10. चोरी हुई/लिखित सम्पति का कुल मूल्यः –**25,000 रूपये** .....
11. पंचनामा/यूडी के संख्या (अगर हो तो).....
12. प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषयवस्तु :–

महोदय,

निवेदन है कि दिनांक 10.03.2023 समय 01.40 पी.एम. पर शिकायतकर्ता श्री राजन पालीवाल पुत्र श्री महावीर प्रसाद निवासी झालाजी का बराना तहसील केशोराय पाटन जिला बूंदी उपस्थित ब्यूरो कार्यालय बूंदी आया तथा मन् उप अधीक्षक को मौखिक अवगत कराया कि– मैं ग्राम झालाजी का बराना जिला बूंदी का रहने वाला हूँ तथा बूंदी शहर में फाईनैंस का कार्य करता हूँ। मेरा छोटा भाई निर्दोष पालीवाल मैसर्स जनता किसान एग्रो प्रोडयूसर कम्पनी लिमिटेड का डायरेक्टर है, जिसने सीधी खरीद हेतु व्यापारी एफ.पी.ओ. (किसान उत्पादक संगठन) का लाईसैंस (अनुज्ञा पत्र) चाहने हेतु नरेन्द्र कुमार सोनी सचिव कृषि उपज मण्डी समिति के0पाटन जिला बूंदी को आवेदन करके लाईसैंस चाहने बाबत आज सम्पर्क करके निवेदन किया तो श्री नरेन्द्र कुमार सोनी मण्डी सचिव द्वारा मेरे भाई निर्दोष पालीवाल से लाईसैंस जारी करने की एवज में 25000 रू रिश्वत की मांग की है तथा मेरे भाई निर्दोष पालीवाल से सचिव नरेन्द्र कुमार सोनी द्वारा आज ही तुरन्त रिश्वत लेकर वापस बुलाया है। मेरे भाई निर्दोष पालीवाल द्वारा रिश्वत राशि कम करने का निवेदन करने पर भी सचिव नरेन्द्र कुमार सोनी द्वारा रिश्वत राशि 25000 रूपये से कम करने से मना कर दिया है तथा रिश्वत लेने पर अड रहा है। मेरे भाई निर्दोष पालीवाल व सचिव नरेन्द्र कुमार सोनी के मध्य रिश्वत मांग के सम्बंध में हुई वार्ता को मेरे भाई द्वारा अपने मोबाईल का ऑडियों रिकार्डर चालु करके आपस में हुई बातचीत को अपने मोबाईल में रिकार्ड कर लिया है। मेरे भाई निर्दोष पालीवाल ने अपने मोबाईल फोन से व्हाटसअप से उक्त वार्ता को मेरे मोबाईल पर भेजा है तथा श्री राजन पालीवाल ने मन् उप अधीक्षक को यह भी बताया कि मेरा भाई निर्दोष पालीवाल समय अभाव के कारण बूंदी नही आ सकता है, क्योकि ज्यादा समय लगने पर सचिव नरेन्द्र कुमार सोनी को मेरे भाई पर शक हो जायेगा। मेरे भाई द्वारा मुझे दी गई सूचना एवं भेजी गई ऑडियों

रिकार्डिंग के आधार पर नरेन्द्र कुमार सोनी सचिव कृषि उपज मण्डी समिति के0पाटन जिला बूंदी के विरूद्ध ट्रेप कार्यवाही करने बाबत सूचना देने आया हूँ तथा मैं आपके साथ के0पाटन चलकर मेरे भाई निर्दोष पालीवाल से आपको मिलवा सकता हूँ।"

इस पर मन् उप अधीक्षक ने राजन पालीवाल के मोबाईल में रिकार्ड वार्ता को सुना गया तो एक व्यक्ति से अनुज्ञा पत्र (लाईसैंस) जारी करने की एवज में सदिंग्ध कथित आरोपी नरेन्द्र कुमार सोनी द्वारा 25000 रूपये रिश्वत की अविलम्ब मांग करने की स्पष्ट पुष्टि होना पाया गया।

ब्यूरो कार्यालय बूंदी में उपस्थित श्री राजन पालीवाल द्वारा मौखिक रूप से दी गई सूचना एवं मोबाईल में रिकार्ड वार्ता को सुनने पर प्रथम दृष्टया मामला रिश्वत मांग का होना पाया गया एवं मामले में अविलम्ब कार्यवाही की जाना आवश्यक होने से श्री जितेन्द्र सिंह कानि. 413 को निर्देश दिये गये कि श्री राजन पालीवाल के मोबाईल में रिकार्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को अपने मोबाईल में लेकर सुरक्षित रखे। मन् उप अधीक्षक अग्रिम कार्यवाही में व्यस्त हुआ।

तत्पश्चात मन् उप अधीक्षक ने जरिये दूरभाष कार्यालय खनिज अभियन्ता–द्वितीय, बूंदी में पदस्थापित श्री जितेन्द्र मीणा, सर्वेयर से वार्ता कर कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाहान अविलम्ब ब्यूरो कार्यालय बूंदी में भिजवाने के निर्देश दिये गये। स्वतंत्र गवाहान की तलबी के सम्बंध में तहरीर पृथक से जारी की गई।

समय 02.15 पी.एम. पर खनिज विभाग बूंदी से दो स्वतंत्र गवाह 1. सोनू कुमार मीणा पुत्र श्री रामसहाय मीणा, उम्र 28 साल निवासी खोढी पोस्ट सांवतगढ तहसील हिण्डोली, जिला बून्दी हाल वरिष्ठ सहायक कार्यालय खनि अभियन्ता द्वितीय बूंदी, 2. श्री जितेन्द्र पुत्र श्री रोशनलाल जाति मीणा उम्र 30 साल निवासी जामडोली थाना रेणी जिला अलवर हाल सर्वेयर कार्यालय खनि अभियन्ता द्वितीय बूंदी ब्यूरो कार्यालय बूंदी आये। इसके उपरांत श्री प्रेमप्रकाश चालक कानि. 350 के जरिये मालखाना से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी मंगवाकर प्राइवेट वाहन के डैस्क बोर्ड में रखवाई गई तथा दूसरे प्राइवेट वाहन में ट्रेप बॉक्स, ट्रेप में काम आने वाली समस्त सामग्री, लेपटॉप मय प्रिन्टर एवं डिजिटल वॉईस रिकार्डर को रखवाया गया। तत्पश्चात मन् उप अधीक्षक मय राजकमल कानि. 330, मनोज कानि. 452, श्री प्रेमप्रकाश कानि. चालक के आगे–आगे रवाना होकर तथा दूसरे प्राइवेट वाहन में श्री राम सिंह कानि. 78, श्री जितेन्द्र सिंह कानि. 413, शिकायतकर्ता श्री राजन पालीवाल एवं स्वतंत्र गवाहान को पीछे–पीछे आने के निर्देश देकर कार्यवाही हेतु के0पाटन रवाना हुये।

समय 02.55 पी.एम. पर मन् उप अधीक्षक मय शिकायतकर्ता राजन पालीवाल, स्वतंत्र गवाहान, एसीबी जाप्ता के कस्बा के0पाटन में रिलायंस पेट्रोल पम्प के पास पहुँचें। जहां पर परिवादी श्री निर्दोष पालीवाल पुत्र महावीर प्रसाद उम्र 36 साल जाति ब्राह्मण निवासी झालीजी का बराना, तहसील के.पाटन जिला बून्दी उपस्थित मिला। जिसने पूछताछ में अपने भाई राजन पालीवाल द्वारा बताये गये तथ्यों की पुष्टि करते हुये एक हस्तलिखित शिकायत मन् उप अधीक्षक को सम्बोधित करते हुये इस आशय की पेश की कि – मैं एफपीओ के लिये माल खरीद का लाईसैंस लेने के लिये आवेदन किया था। उसकी फाईल मैंने, जो भी डॉक्यूमेन्ट मेरे से मांगे गये थे। उक्त सभी मण्डी सचिव नरेन्द्र कुमार सोनी को पेश कर दिये थे। परन्तु मण्डी सचिव नरेन्द्र कुमार सोनी ने लाईसैंस जारी करने की एवज में मेरे से 30,000 रूपये रिश्वत की मांग की जा रही थी। आज मैं पुनः लाईसैंस के लिये नरेन्द्र कुमार जी सोनी के पास आया तो मेरे से तीस हजार रूपये की मांग की, मैंने कम करने का निवेदन किया तो नरेन्द्र कुमार सोनी जी ने 25000 रूपये रिश्वत लेने हेतु सहमत हो गये। मेरे पास 20,000 थे तो नरेन्द्र कुमार जी ने कहा कि पूरे 25000 रूपये लेकर आजा, तेरे लाईसैंस को जारी कर दूंगा। मैं नरेन्द्र कुमार सोनी को 25000 रूपये रिश्वत नही देकर रिश्वत देते हुये रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूँ रिपोर्ट पेश है।"

परिवादी द्वारा पेश हस्तलिखित प्रार्थना पत्र को दोनों स्वतंत्र गवाहान को पढकर सुनाया गया एवं कार्यवाही में बतौर गवाह सहने की सहमति चाहे जाने पर अपनी–अपनी मौखिक सहमति देने पर दोनों गवाहों के प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर करवाये गये।

परिवादी श्री निर्दोष पालीवाल ने मजीद दरयाफ्त पर बताया कि रिकार्ड वार्ता में एक आवाज स्वयं की तथा दूसरी आवाज नरेन्द्र कुमार सोनी सचिव कृषि उपज मण्डी समिति के0पाटन जिला बूंदी की होना पहचान की। उक्त वार्ता को आज दिनांक 10.03.2023 को बातचीत के दौरान स्वयं के मोबाईल का ऑडियों रिकार्डर चालु करके रिकार्ड करना बताया।

समय 03.00 पी.एम. पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री निर्दोष पालीवाल ने अपने पास से भारतीय मुद्रा के पांच–पांच सौ रूपये के 50 नोट कुल 25,000 रूपये मन उप अधीक्षक के समक्ष पेश किये। नोटो के नम्बर फर्द में अंकित किये गये। श्री प्रेमप्रकाश चालक कानि. 350 द्वारा प्राईवेट वाहन के डेस्क बोर्ड बॉक्स से फिनोफ्थलीन पावडर की शीशी तथा गाडी से एक अखबार मंगवाकर रिलायंस पेट्रोल पम्प के पास साइड में बिछवाया जाकर उस अखबार पर उक्त नोटों को रखकर सभी नोटो पर श्री प्रेमप्रकाश चालक कानि. 350 से अच्छी तरह से फिनोप्थलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री निर्दोष पालीवाल की जामा तलाशी गवाह श्री सोनू कुमार मीणा से लिवाई गई। परिवादी के पास उसके

मोबाईल फोन के अतिरिक्त अन्य कोई दस्तावेज/राशि/वस्तु नही रहने दी गई। तत्पश्चात परिवादी श्री निर्दोष पालीवाल की पहनी हुई पेन्ट की साईड की दाहिनी जेब में उक्त फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त नम्बरी नोटो को श्री प्रेमप्रकाश चालक कानि. 350 से रखवाये गये। गाडी से एक कांच के गिलास में साफ पानी मंगवाया जाकर उसमे सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया जाकर उक्त घोल में श्री प्रेमप्रकाश चालक कानि. 350 की फिनोफ्थलीन युक्त दाहिने हाथ की अंगुलियों को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया, जिस पर परिवादी श्री निर्दोष पालीवाल व स्वतंत्र गवाहान को समझाया गया कि यदि आरोपी अधिकारी उक्त पाउडर लगे नोटो को छुयेगा तो उसके हाथों में फिनोफ्थलीन पाउडर लग जायेगा और इसी प्रकार तैयार किये गये घोल में उसके हाथ धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी या हल्का गुलाबी हो जायेगा, जिससे यह साबित होगा कि उसने रिश्वत राशि को प्राप्त किया है। इसके बाद उक्त गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिकवाया गया। श्री प्रेमप्रकाश चालक कानि. 350 से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी वापस प्राईवेट वाहन मे डेस्क बार्ड बॉक्स मे रखवाई गई तथा जिस अखबार पर रखकर नोटो पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया था उस अखबार को जलवाया गया। श्री प्रेमप्रकाश चालक कानि. 350 के दोनों हाथों को साबुन व साफ पानी से धुलवाये गये। परिवादी श्री निर्दोष पालीवाल को रिश्वत लेन देन के समय होने वाली वार्ता को रिकार्ड करने हेतु सरकारी डिजिटल वॉईस रिकार्डर को चलाने व बन्द करने की विधि समझा कर सम्भलाया गया एवं दोनों के मध्य होने वाली वार्ता को रिकार्डर मे रिकार्ड करने के निर्देश दिये गये। परिवादी से समझाइश की गई कि आरोपी अधिकारी द्वारा रिश्वत लेने के बाद अपने सिर पर हाथ फेरकर टीम सदस्यों की ओर इशारा करें। कार्यवाही की फर्द मूर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई।

तत्पश्चात परिवादी निर्दोष पालीवाल के साथ मनोज कुमार कानि. 452 को परिवादी की मोटरसाइकिल से रिश्वत लेन–देन हेतु कृषि उपज मण्डी समिति के0पाटन रवाना कर मन् उप अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान, एसीबी टीम व श्री राजन पालीवाल के हमराह पीछे–पीछे प्राइवेट वाहनों से रवाना होकर कृषि उपज मण्डी समिति के0पाटन के मैन गेट के पास पहुॅचकर वाहनों को साइड में खडा करके परिवादी के इशारे की प्रतीक्षा में मुकीम हुये।

समय 03.18 पी.एम. पर परिवादी श्री निर्दोष पालीवाल ने मन् उप अधीक्षक एवं जाप्ते के पास उपस्थित उसके भाई राजन पालीवाल को कॉल करके बताया कि नरेन्द्र कुमार सोनी ने मेरे से रिश्वत ले ली है। राजन पालीवाल ने उक्त सूचना से मन् उप अधीक्षक को अवगत कराने पर श्री प्रेमप्रकाश कानि. चालक 350 को मौके पर छोडकर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान एवं एसीबी टीम के प्राईवेट वाहनों से रवाना होकर मण्डी प्रागण में स्थित कार्यालय सचिव, कृषि उपज मण्डी के.पाटन पहुॅचा। जहॉ पर एक पेंट शर्ट पहने हुये व्यक्ति को श्री मनोज कुमार कानि. 452 ने पकड़ रखा था जो अपने आप को छुडवाने का प्रयास कर रहा था। परिवादी निर्दोष पालीवाल से डिजिटल वाईस रिकार्डर को प्राप्त कर बंद कर अपने पास सुरक्षित रखा। तत्पश्चात परिवादी ने बताया कि यही मण्डी सचिव नरेन्द्र कुमार सोनी है। जिसने मेरे से अभी अभी अपने कार्यालय में 25000/–रूपये रिश्वत के लेकर अपनी पहनी पेंट की जेब में रखकर मेरे लाईसेंस की फाईल को लेकर अपने कार्यालय से बाहर निकलकर अपनी गाडी से जाने का प्रयास करने लगा तो मैनें मनोज कुमार कानि. को सिर पर हाथ फेरकर रिश्वत लेने का पूर्व निर्धारित इशारा किया। जिस पर मनोज कुमार कानि. ने नरेन्द्र कुमार मण्डी सचिव को गाड़ी में बैठते हुये को पकड़ लिया। जिस पर नरेन्द्र कुमार ने मेरे लाईसेंस की फाईल को फैक दिया तथा जबरन वापस अपने कार्यालय के अंदर घुसते समय अपनी जेब से रिश्वत राशि को निकाल कर नीचे फैक दिया। इस पर गवाह श्री सोनू कुमार मीणा से गेट के फर्स पर पड़े 500–500 रूपये के नोटो को उठवाकर गिनवाया गया तो 500–500 रूपये के कुल 50 नोट राशि 25000/–रूपये होना पाये। बरामद नोटो को गवाह सोनू कुमार मीणा के पास सुरक्षित रखवाये गये।

तत्पश्चात जाप्ते की इमदाद से पेंट शर्ट पहने व्यक्ति को डिटेन करके कार्यालय के चैम्बर में लाया गया तथा उक्त व्यक्ति से मन् पुलिस उप अधीक्षक ने अपने पद व नाम का पूर्ण परिचय देते हुये आने के प्रयोजन से अवगत करवाते हुये नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम नरेन्द्र कुमार सोनी पुत्र श्री नवरंग प्रसाद उम्र 56 साल निवासी म.नं. 26, बसंत बिहार कोटा हाल सचिव, कृषि उपज मण्डी, केशोराय पाटन जिला बून्दी होना बताया। श्री नरेन्द्र कुमार सोनी को तसल्ली देकर परिवादी निर्दोष पालीवाल से ली गई रिश्वत राशि 25000 रूपये के बारे में पूछा तो आरोपी कहने लगा कि साहब गलती हो गई मेरे को बचा लो, निर्दोष पालीवाल ने अपनी इच्छा से ही मेरे को 25000 रूपये लाईसेंस बनाने की एवज में दिये थे इसलिए मैनें विश्वास में आकर रूपये ले लिये थे।

इस पर पास खड़े परिवादी निर्दोष पालीवाल ने आरोपी नरेन्द्र कुमार सोनी के कथन का खण्डन करते हुये बताया कि –" मेरे से नरेन्द्र कुमार सोनी लाईसेंस बनाने की एवज में 30000/–रूपये रिश्वत की मांग कर रहा था तथा मैं बार–बार चक्कर लगा रहा था। आज मैं लाईसेंस के लिए नरेन्द्र कुमार सोनी के पास इनके कार्यालय में आया तो इन्हाने कहा कि लाईसेंस की एवज में 30000/–रूपये लगेगें। मैंने कहा मेरे पास 20000/–रूपये ही है तो नरेन्द्र कुमार सोनी ने 25000/–रूपये रिश्वत लेने पर सहमत

हो गया तथा मेरे से कहा कि तू आज ही 25000/–रूपये ले आना। उक्त समस्त बातचीत को मैनें मेरे मोबाईल का ऑडियो रिकार्डर चालू करके रिकार्ड कर लिया था। इसके बाद मैनें मेरे भाई राजन पालीवाल, जो बून्दी शहर में काम करता है को सारी बात बताकर एसीबी नरेन्द्र कुमार सोनी के खिलाफ रिश्वत मांगने की सूचना दिलवाई थी। इस दौरान नरेन्द्र कुमार सोनी ने मोबाईल नं. 9521460415 से मुझे मेरे मोबाईल नं. 9929412023 पर बार–बार कॉल करके रूपये लेकर आने के लिए दबाव बनाया। इसके पश्चात मैं रिश्वत राशि 25000/–रूपये लेकर नरेन्द्र कुमार सोनी के पास आया तो इन्होने मेरे से अपने कार्यालय में 25000/–रूपये रिश्वत के लेकर अपनी पहनी पेंट की जेब में रखकर मेरे लाईसेंस की फाईल को लेकर अपने कार्यालय से बाहर निकलकर अपनी गाडी से जाने का प्रयास करने लगा तो मैनें मनोज कुमार कानि 452 को इशारा कर दिया तो गाडी में बैठते हुये को पकड़ लिया।

आरोपी नरेन्द्र कुमार सोनी, सचिव के द्वारा परिवादी से रिश्वत लेने की पुष्टि होने पर आरोपी के दोनो हाथों की धुलाई आवश्यक होने से मकान से साफ पानी मंगवाकर दो साफ कांच के गिलासों में पानी भरवाकर उसमें एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार किया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। पहले गिलास के सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में आरोपी नरेन्द्र कुमार सोनी के दाहिने हाथ की अंगुलियो को डूबाकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे दो कांच की शीशियो मे आधा आधा डालकर शीशियो को सील मुहर किया जाकर मार्क RH–1, RH–2 अंकित कर चिट पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये। दूसरे गिलास के सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में आरोपी नरेन्द्र कुमार सोनी के बांये हाथ की अंगुलियो को डूबाकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे दो कांच की शीशियो मे आधा आधा डालकर सील मुहर किया जाकर मार्क LH–1, LH–2 अंकित कर चिट पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये।

इस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक ने गवाह सोनू कुमार मीणा के पास सुरक्षित रखवाये 500–500 रूपये के नोटो को दोनों स्वतंत्र गवाहान से गिनवाया गया तो 500–500 रूपये के 50 नोट कुल राशि 25000 रूपये होना पाये गये। दोनों स्वतंत्र गवाहान से नोटो के नम्बरो का मिलान फर्द पेशकसी व दृष्टांत में अंकित नोटों के नम्बरों से करवाने पर नोटो के नम्बर फर्द मे अकिंत नम्बरों से हु ब हु मिलान होकर बरामद नोट रिश्वती राशि के होना पाये गये। बरामद नोटों का विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र.स.	नोट का विवरण	नोट का नम्बर
1	एक नोट पांच सौ रूपये	1 PR 092231
2	एक नोट पांच सौ रूपये	8 CG 455540
3	एक नोट पांच सौ रूपये	3 NG 493534
4	एक नोट पांच सौ रूपये	5 TS 302161
5	एक नोट पांच सौ रूपये	6 AH 532286
6	एक नोट पांच सौ रूपये	1 KC 966525
7	एक नोट पांच सौ रूपये	0 DB 855029
8	एक नोट पांच सौ रूपये	1 KL 834037
9	एक नोट पांच सौ रूपये	7 FV 058968
10	एक नोट पांच सौ रूपये	4 GB 824596
11	एक नोट पांच सौ रूपये	3 VH 854079
12	एक नोट पांच सौ रूपये	9 NG 686906
13	एक नोट पांच सौ रूपये	4 CW 662872
14	एक नोट पांच सौ रूपये	3 QR 650170
15	एक नोट पांच सौ रूपये	9 WA 514554
16	एक नोट पांच सौ रूपये	1 RL 286743
17	एक नोट पांच सौ रूपये	1 GW 555385
18	एक नोट पांच सौ रूपये	3 HC 323268
19	एक नोट पांच सौ रूपये	4 RP 180832
20	एक नोट पांच सौ रूपये	6 HT 510262
21	एक नोट पांच सौ रूपये	9 DS 008861
22	एक नोट पांच सौ रूपये	1 CA 053835
23	एक नोट पांच सौ रूपये	5 EH 726906
24	एक नोट पांच सौ रूपये	2 HH 812806
25	एक नोट पांच सौ रूपये	3 CM 156707
26	एक नोट पांच सौ रूपये	4 UL 543741
27	एक नोट पांच सौ रूपये	3 FW 715072

28	एक नोट पांच सौ रूपये	9 KH 141448
29	एक नोट पांच सौ रूपये	1 EF 462629
30	एक नोट पांच सौ रूपये	3 TD 817100
31	एक नोट पांच सौ रूपये	0 UB 363158
32	एक नोट पांच सौ रूपये	4 BG 685293
33	एक नोट पांच सौ रूपये	2 BH 052076
34	एक नोट पांच सौ रूपये	1 LQ 339578
35	एक नोट पांच सौ रूपये	6 BL 904906
36	एक नोट पांच सौ रूपये	2 AW 449003
37	एक नोट पांच सौ रूपये	8 VT 414165
38	एक नोट पांच सौ रूपये	7 NS 379278
39	एक नोट पांच सौ रूपये	5 FL 136860
40	एक नोट पांच सौ रूपये	7 HT 993463
41	एक नोट पांच सौ रूपये	2 BL 673832
42	एक नोट पांच सौ रूपये	1 RQ 749766
43	एक नोट पांच सौ रूपये	7 MU 228755
44	एक नोट पांच सौ रूपये	3 WB 682373
45	एक नोट पांच सौ रूपये	0 CT 500266
46	एक नोट पांच सौ रूपये	7 MN 250409
47	एक नोट पांच सौ रूपये	5 PG 164854
48	एक नोट पांच सौ रूपये	2 AN 927553
49	एक नोट पांच सौ रूपये	6 PB 728322
50	एक नोट पांच सौ रूपये	3 DQ 123810

उक्त रिश्वती नोटो को एक कागज के लिफाफे में रखकर, विवरण अकिंत कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। आरोपी नरेन्द्र कुमार सोनी द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि लेकर अपनी पहनी हुई पेंट की जेब में रखी थी। कार्यालय स्टाफ से मौके पर बाजार से एक दूसरी पेन्ट मंगवाई जाकर आरोपी के पहनी हुईपेन्ट को चेंज करवाया गया। एक अन्य कांच के गिलास में साफ पानी भरवाकर सोडियम कार्बोनेट पाउडर का घोल तैयार किया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। गिलास के सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में परिवादी के बताये अनुसार आरोपी श्री नरेन्द्र कुमार सोनी की वक्त घटना पहनी हुई पेन्ट की बायीं जेब को उल्टा करवाकर डूबाकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे दो कांच की शीशियो मे आधा–आधा डालकर शीशियो को सील मुहर किया जाकर मार्क पी–1, पी.–2 अंकित कर चिट पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये। आरोपी के वक्त घटना पहनी हुई पेन्ट को कपड़े की थैली में रखकर सील मोहर कर मार्क–पी अंकित कर कब्जे ब्यूरो लिया गया।

परिवादी के लाईसेंस की पत्रावली का मन् उप अधीक्षक द्वारा अवलोकन किया गया तो पत्रावली में कुल 46 पृष्ठ है। प्रथम पृष्ठ पर कार्यालय टिप्पणी के पैरा संख्या एन/2 पर आरोपी नरेन्द्र कुमार सोनी सचिव द्वारा आज दिनांक 10.03.23 को ही परिवादी के सीधी खरीद के लाईसेंस को स्वीकृत किया जाना प्रस्तावित मानकर स्वीकृति आदेश हेतु प्रशासक को फाईल अग्रेषित किया जाना अंकित किया है। कार्यवाही से सम्बन्धित लम्बित कार्य के तौर पर पत्रावली जप्त करने के क्रम में कार्यालय कर्मचारी श्री पुनित पाण्डे कनिष्ठ सहायक से मूल पत्रावली की फोटो कॉपी करवाकर सत्यापित प्रतियां शामिल पत्रावली की गई।

आरोपी के चैम्बर में सीसीटीवी कैमरे लगे हुये है। इस कारण समस्त घटनाक्रम एवं परिवादी की आमद रफत आदि रिकार्ड है। इस कारण मौके पर श्री बृजेश सैनी संचालक आई.क्यू. सिक्यूरिटी सौल्यूशन के.पाटन मोबाईल नं. 78772–22230 को जरिये दूरभाष मौके पर बुलाकर सीसीटीवी में रिकार्ड विडियो फुटेज को पेन ड्राईव में कापी करवाकर एक कपडे की थैली में सील्ड मोहर किया जाकर विवरण अंकित कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत जप्त किया गया। फर्द हाथ धुलाई व बरामदगी रिश्वत राशि मूर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। दौराने कार्यवाही आरोपी नरेन्द्र कुमार सोनी के कोटा स्थित आवासीय मकान की तलाशी हेतु उच्चाधिकारियों को निवेदन किया गया।

परिवादी निर्दोष पालीवाल की निशादेही से स्वतंत्र गवाहान के समक्ष ट्रेप कार्यवाही के घटनास्थल का निरीक्षण किया जाकर फर्द नक्शा मौका पृथक से मूर्तिब कर शामिल कार्यवाही की गई। आरोपी नरेन्द्र कुमार सोनी को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता व रिश्वत लेन–देन वार्ता को लेपटॉप के जरिये

चलाकर वार्ताओं के अंश सुनाये गये एवं आरोपी को अपनी आवाज का नमूना दिये जाने के सम्बंध में गवाहान के समक्ष लिखित में जरिये फर्द नोटिस दिया गया तो आरोपी ने अपनी प्रत्युत्तर में लिखित में पेश किया कि "मैं स्वैच्छा से अपनी आवाज का नमूना नही देना चाहता हूँ तथा आवाज का एफ.एस.एल. मिलान भी नही कराना चाहता हूँ।" नोटिस पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया।

ट्रेप कार्यवाही से आरोपी नरेन्द्र कुमार सोनी पुत्र श्री नवरंग प्रसाद उम्र 56 साल निवासी म. नं. 26, बसंत बिहार कोटा हाल सचिव, कृषि उपज मण्डी, केशोराय पाटन जिला बून्दी के विरूद्ध जुर्म धारा 7 पी.सी. (संशोधित) एक्ट 2018 का अपराध प्रमाणित पाया जाने पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष जरिये फर्द आरोपी को गिरफ्तार कर हिरासत में लिया गया। परिवादी के कथनानुसार आज दिनांक 10.03.2023 को रिश्वत मांग एवं प्राप्ति के क्रम में आरोपी नरेन्द्र कुमार सोनी ने मोबाईल नं. 9521460415 से परिवादी निर्दोष पालीवाल के मोबाईल नं. 9929412023 पर बार–बार कॉल करके रूपये लेकर आने के लिए दबाव बनाने का कथन किया है। आरोपी के मोबाईल के कॉल विवरण के अवलोकन से भी उक्त तथ्य की पुष्टि होती है। अतः आरोपी के कब्जे से मिले मोबाईल फोन को जरिये फर्द बतौर वजह सबूत एक कपडे की थैली में सील्ड मोहर कर जप्त किया गया।

मौके की कार्यवाही के बाद मन् उप अधीक्षक मय परिवादीगण, स्वतंत्र गवाहान तथा एसीबी जाप्ते के आरोपी नरेन्द्र कुमार सोनी को हमराह लेकर एवं जप्तशुदा रिश्वत राशि मय आर्टिकल लेकर प्राइवेट वाहनों से कस्बा केशवराय पाटन से रवाना होकर समय 08.30 पी.एम. पर ब्यूरो कार्यालय बूंदी आया। कार्यवाही में जप्त रिश्वत राशि मय आर्टिकल्स को मालखाना प्रभारी श्री शिवनारायण हैड कानि. 30 के जरिये जमा मालखाना करवाया गया।

समय 09.20 पी.एम. पर दिनांक 10.03.2023 को आरोपी नरेन्द्र कुमार सोनी द्वारा परिवादी निर्दोष पालीवाल से रिश्वत मांगने सम्बंधी वार्ता को परिवादी निर्दोष पालीवाल द्वारा स्वयं के मोबाईल फोन का ऑडियों रिकार्डर चालु कर दोनों के मध्य हुई वार्ता को रिकार्ड किया था। उक्त वार्ता को जितेन्द्र सिंह कानि. 413 के मोबाईल से लेपटॉप में लिवाई जाकर परिवादी व उसके भाई राजन पालीवाल एवं स्वतंत्र गवाहान को सुनाया गया एवं वार्ता की पहचान परिवादी से करवाई गई। परिवादी ने एक आवाज स्वयं की एवं दूसरी आवाज आरोपी नरेन्द्र कुमार सोनी की होना पहचान किया। उक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की फर्द ट्रांसस्क्रीप्ट श्री जितेन्द्र सिंह कानि. 413 से मेरे निर्देशन में तैयार करवाई जाकर शामिल पत्रावली की गई।

समय 10.30 पी.एम. पर परिवादी श्री निर्दोष पालीवाल तथा आरोपी नरेन्द्र कुमार सोनी के मध्य दिनांक 10.03.2023 को वक्त रिश्वत लेन–देन हुई वार्ता, जो परिवादी द्वारा सरकारी डिजिटल वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड की है, उक्त वार्ता को डिजिटल वॉईस रिकार्डर से लेपटॉप में लेकर परिवादी व स्वतंत्र गवाहान को सुनाया गया एवं वार्ता की पहचान परिवादी निर्दोष पालीवाल से करवाई जाकर वार्ता की फर्द ट्रांसस्क्रीप्ट श्री जितेन्द्र सिंह कानि. 413 से मेरे निर्देशन में तैयार करवाई जाकर शामिल पत्रावली की गई।

परिवादी श्री निर्दोष पालीवाल तथा आरोपी नरेन्द्र कुमार सोनी के मध्य दिनांक 10.03.2023 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता, जो परिवादी निर्दोष पालीवाल द्वारा स्वयं के मोबाईल फोन का ऑडियों रिकार्डर चालु कर रिकार्ड किया था, उक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता एवं वक्त रिश्वत लेन–देन हुई वार्ता सहित कुल 2 रिकार्ड वार्ताओं को श्री जितेन्द्र सिंह कानि. 413 से मेरे निर्देशन में सरकारी लेपटॉप से चार पृथक–पृथक मैमोरी कोर्ड में रूपान्तरित करवाया गया। जिसमें से तीन मैंमोरी कार्ड को कपडे की थैली में अलग–अलग रखकर सील मोहर किया गया एवं एक मैमोरी कार्ड को अनुसंधान अधिकारी के लिये बिना सील किये कागज के लिफाफे में रखा गया। फर्द डबिंग व जब्ती मैमोरी कार्ड मूर्तिब कर शामिल कार्यवाही की गई। जप्त मैमोरी कार्ड को श्री शिवनारायण हैड कानि. 30 के जरिये मालखाना में जमा करवाया गया। बाद ट्रेप कार्यवाही के परिवादीगण एवं स्वतंत्र गवाहान को रूखस्त किया गया।

अब तक की ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि परिवादी श्री निर्दोष पालीवाल द्वारा अपनी फर्म मैसर्स जनता किसान एग्रो प्रोडयूसर प्रो. लिमिटेड के लिये सीधी खरीद हेतु व्यापारी एफ.पी.ओ. (किसान उत्पादक संगठन) का लाईसैंस चाहने बाबत कृषि उपज मण्डी समिति के0पाटन जिला बूंदी में आवेदन कर श्री नरेन्द्र कुमार सोनी, सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति के0पाटन से आज दिनांक 10.03.2023 को वार्ता की तो आरोपी नरेन्द्र कुमार सोनी द्वारा परिवादी से 25,000 रूपये रिश्वत की मांग की गई। परिवादी द्वारा रिश्वत मांग वार्ता को स्वयं के मोबाईल में रिकार्ड किया जाकर उसके भाई राजन पालीवाल के माध्यम से ब्यूरो कार्यालय बूंदी में सूचना दी। परिवादी द्वारा रिकार्ड की गई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता एवं परिवादी के भाई राजन पालीवाल द्वारा ब्यूरो कार्यालय बूंदी में दी गई सूचना के आधार पर रिश्वत मांग सत्यापन की स्पष्ट पुष्टि होना पाये जाने पर कस्बा केशवराय पाटन पहुँचकर

परिवादी निर्दोष पालीवाल से सम्पर्क किया गया। परिवादी द्वारा आरोपी नरेन्द्र कुमार सोनी के द्वारा रिश्वत मांगने के सम्बंध में स्वयं द्वारा हस्तलिखित प्रार्थना पत्र पेश किया गया।

परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं उसके द्वारा रिकार्ड की गई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के आधार पर ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया गया। आरोपी नरेन्द्र कुमार सोनी द्वारा ट्रेप कार्यवाही के दौरान परिवादी निर्दोष पालीवाल से 25000 रूपये रिश्वत राशि प्राप्त कर अपनी पहनी हुई पेन्ट की बायीं जेब में रख ली तथा दौराने ट्रेप एसीबी जाप्ते को देखकर आरोपी द्वारा रिश्वत राशि अपनी पेन्ट की जेब से निकाल कर नीचे फर्स पर फेंक दिया गया। स्वतंत्र गवाहान के समक्ष रिश्वत राशि 25000 रूपये मौके से बरामद की गई। आरोपी के दोनो हाथो एवं आरोपी के वक्त घटना पहनी हुई पेंट की बायी जेब के धोवन का रंग सोडियम कार्बोनेट के घोल में पृथक–पृथक लिया गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी प्राप्त हुआ है।

फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता एवं वक्त रिश्वत लेन–देन वार्ता, फर्द हाथ धुलाई एवं जप्ती पेन्ट, फर्द जप्ती मोबाईल तथा परिवादी से सम्बंधित कार्य की जप्त पत्रावली आदि के आधार पर आरोपी नरेन्द्र कुमार सोनी पुत्र श्री नवरंग प्रसाद उम्र 56 साल निवासी म.नं. 26, बसंत बिहार कोटा हाल सचिव, कृषि उपज मण्डी, केशोराय पाटन जिला बून्दी के विरूद्ध जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 का अपराध प्रमाणित पाया गया है। अतः उक्त आरोपी के विरूद्ध उपरोक्त धारा में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध करने हेतु श्रीमान महानिदेशक महोदय, भ्र.नि. ब्यूरो मुख्यालय जयपुर प्रेषित है।

(ज्ञानचन्द)
पुलिस उप अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
बून्दी

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री ज्ञानचन्द उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बून्दी ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री नरेन्द्र कुमार सोनी, सचिव, कृषि उपज मण्डी, केशवराय पाटन जिला बून्दी के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 59/2023 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

11.3.23
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांकः- 470-73 दिनांकः- 11.3.2023

प्रतिलिपिः- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा।
2. प्रमुख शासन सचिव, कृषि (प्रशासनिक विभाग), राजस्थान, जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बून्दी।

11.3.23
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।